Email : romuzaffarnagar@uppcb.in
दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० Ref. No. 976/C/S-249/MZR/2022

दिनांक Dated 22-01-2022

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.- Compliance to the direction issued on 01.11.2021 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 251/2021 Daljeet Singh and Anr. Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Others.

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the Response in compliance of the order issued on 01.11.2021 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 251/2021 Daljeet Singh and Anr. Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Others.

Encl. : As above.

Yours faithfully

(Ankit Singh)
Regional Officer

Copy to :

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

Response regarding O.A. No. 251/2021 I.A. No. 189/2021 Daljeet Singh & Anr. Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Others

By above mentioned O.A. No. 251/2021 I.A. No. 189/2021 Petitioner Daljeet Singh filed an application under section 14 and 18 of National Green Tribunal Act 2010 raising an grievance that respondent 6 M/s. Shakumbri Mines is carrying on with the mining activities in river bed of Yamuna in District Shamli violating the conditions of E.C. that no mining operation shall be carried out without obtaining requisite statutory consent/permission/NOC. Hence, entire activity is illegal and causing pollution to the environment and liable to cancellation of E.C. granted besides environmental compensation etc.

As per the Hon'ble N.G.T. order dated 01.11.2021 Para No. 7 and 8 as follows :

"7. Issue notice to respondents 1 to 5 and 7 by email.

8. All the respondents may file their replies /response within one month after receipt of notice."

As per the order dated 01.11.2021, on behalf of respondent No. 1, pointwise action taken report are as follows :

1. Regarding the directions issued by N.G.T. notice against M/s. Shakumbri Mines Gata No. 228, Vill. Bidoli, District Shamli has been issued vide office letter no. 733/C/S-249/Shamli/2021 Dated 23.11.2021 **(Annexure-1)** for compliance that no mining activity will

be carried on without having consent to operate. A copy of notice is being forwarded to District Magistrate Shamli, Member Secretary UPPCB for intimation and Mining Inspector Shamli for ensuring the compliance of above said order.

2. As per the complaint received against the illegal mining by M/s. Shakumbri Mines, a letter regarding the violation days has been sent to District Mining Officer Shamli vide office letter no. 506/C/249/Shamli /2021 dated 27.09.2021 **(Annexure-2)**, in continuation information regarding violation of days 112 Nos. and mining quantity 1,17,561 Cum. till dated 30.06.2021 is received via letter no. 4643/Kh.Vi.-2021-22 dated 30.09.2021 **(Annexure-3)**. Further, no mining activities is being carried on by the said unit as per the latest information dated 02.12.2021 **(Annexure-4)** till dated 02.12.2021.

3. Due to the past violation of Environmental Acts unit online consent application dated 05.09.2021 **(Annexure-5)** is being refused by the State Pollution Control Board on dated 11.10.2021 **(Annexure-6).**

4. Due to the past violation regarding illegal mining, recommendation for imposing Environmental Compensation of Rs. 11,20,000/- has been sent to Head Office Lucknow vide office letter no. 790/C/S-249/Shamli/2021 dated 04.12.2021 **(Annexure-7).** In continuation Environmental Compensation of Rs. 11,20,000/- has been imposed vide H.O. Letter No. H69300/C-3/Jal-434/M.Nagar/2021 dated 13.12.2021 **(Annexure-8)**.

5. Unit has not submitted the Environmental Compensation yet. If unit deny to pay E.C., recommendation against the unit for recovery of E.C. as per land revenue will be sent to Head Office, U.P. Pollution Control Board, Lucknow and District Magistrate Shamli.

Encl. : As per above.

(Ankit Singh)
Regional Officer
U.P.P.C.B.
Muzaffarnagar

ANNEXURE-1

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131-2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० Ref. No. 733/C/S-249/शामली/2021

दिनांक Dated 23-11-2021

पंजीकृत

मै० शाकुम्बरी माइन्स
गाटा सं0 228, ग्राम बिडौली, जिला शामली
द्वारा- श्री विनोद धवन, एच-12, नुमाइश कैम्प, सहारनपुर।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 251/2021 (आई.ए. संख्या 189/2021) दलजीत सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 251/2021 (आई.ए. संख्या 189/2021) दलजीत सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैं :-

"10. In the meantime, we direct District Magistrate, Shamli and State PCB to ensure that respondent 6 does not carry out any mining activities without having a statutory consent/permission/NOC, until further orders."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना खनन का कार्य संचालित न किया जाये। अन्यथा की स्थिति मा0 एन0जी0टी0 पारित आदेशों के उल्लंघन का समस्त उत्तरदायित्व इकाई एवं इसके संचालकों का स्वयं का होगा। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

1- जिलाधिकारी महोदया, शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक एच68310/सी-3/विधि/26/2021 दिनांक 15.11.2021 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3- खान निरीक्षक, शामली को यह पत्र समस्त संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक विभागीय कार्यवाही करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

ANNEXURE-2

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० *Ref. No.* 506/C/249/शामली/2021

दिनांक *Dated* 27-9-21

सेवा में,

जिला खान अधिकारी
शामली।

विषयः–इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा सं0 228, ग्राम बिडौली, जिला शामली के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा सं0 228, ग्राम बिडौली, जिला शामली को State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh के Reference No. 620/Parya/SEIAA/5874-5235/2020 Dated 13.01.2021 के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति में सामान्य शर्त संख्या 8 के अनुसार उद्योग द्वारा जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये जाने हेतु निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया गया है। उक्त इकाई के विरूद्ध एक जनशिकायत भी प्राप्त हुई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना खनन का कार्य किया गया है।

इकाई के जल एवं वायु सहमति आवेदन पत्र एवं शिकायती प्रकरण के निस्तारण हेतु आपके विभाग से यह जानकारी आवश्यक है कि उक्त इकाई द्वारा किस दिनांक से किस दिनांक तक खनन का कार्य किया गया है तथा इस अवधि के दौरान कितने घन मीटर का खनन कार्य किया गया है। अग्रेतर, यह जानकारी भी प्रदान करने का कष्ट करें कि उक्त इकाई के अवैध खनन के सम्बन्ध में आपके विभाग में कोई शिकायत प्राप्त हुई है अथवा नहीं। यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो प्रकरण में विभाग द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण तथा कितने घन मीटर अवैध खनन किया गया है, की सूचना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचनायें तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे इकाई के आवेदन पत्रों एवं शिकायती प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), शामली को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

ANNEXURE-3

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) शामली।

संख्याः– 4643/ख0वि0–2021–22,

दिनांक 30 –09–2021

विषय :– खनन क्षेत्र ग्राम बिडौली तहसील ऊन जिला शामली के गाटा सं0 228 क्षे0 20.469 हे0 के सम्बन्ध में वांछित सूचना का प्रेषण।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर/शामली।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्याः 506/सी/249/शामली/2021 दिनांक 27–09–2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मै0 शाकुम्बरी माइन्स द्वारा किस दिनांक से किस दिनांक तक खनन का कार्य किया गया है तथा इस अवधि के दौरान कितने घनमीटर का खनन कार्य किया गया है, के सम्बन्ध में सूचनायें उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद की तहसील ऊन के ग्राम बिडौली के गाटा सं0 228 क्षे0 20.469 हे0 में ई–नीलामी के माध्यम से मैसर्स शाकुम्बरी माइन्स, के नाम दिनांक 02–03–2021 से 01–03–2026 तक की अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत है। विभागीय वेबसाइड के अवलोकन से विदित है कि मैसर्स शाकुम्बरी माइन्स द्वारा खनन क्षेत्र ग्राम बिडौली में खनन कार्य दिनांक 06–03–2021 से 31–03–2021 तक 26 दिन, दिनांक 06–04–2021 से 30–04–2021 तक 25 दिन, दिनांक 01–05–2021 से 31–05–2021 तक 31 दिन एवं दिनांक 01–06–2021 से 30–06–2021 तक 30 दिन अर्थात कुल 112 दिनों में 1,17,561 घनमीटर बालू का खनन किया गया है।

साथ ही अवगत कराना है कि प्रश्नगत खनन क्षेत्र में कार्यालय अभिलेखानुसार अवैध खनन का कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है। उक्त खनन क्षेत्र में मानसून सत्र (दिनांक 01–07–2021 से 30–09–2021) में खनन कार्य पूर्णतः बन्द है।

कृपया तद्रूप अवगत होना चाहे।

30.9.21

(बशिष्ठ यादव)
खान निरीक्षक,
शामली।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी महोदया, शामली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खान निरीक्षक,
शामली।

ANNEXURE-4

06/12/21

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) शामली।

दिनांक 02-12-2021

संख्याः- 4737/ख0वि0-2021,

विषय :- खनन क्षेत्र ग्राम बिडौली तहसील ऊन जिला शामली के गाटा सं0 228 क्षे0 20.469 हे0 के सम्बन्ध में वांछित सूचना का प्रेषण।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर/शामली।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्याः 734/सी/5249/शामली/2021 दिनांक 23-11-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मै0 शाकुम्बरी माइन्स द्वारा दिनांक 30-06-2021 के उपरान्त किये गये खनन की मात्रा एवं दिवसों की सूचनायें उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त खनन क्षेत्र ग्राम बिडौली तहसील ऊन जिला शामली के गाटा सं0 228 क्षे0 20.469 हे0 में मै0 शाकुम्बरी माइन्स (पट्टेधारक) द्वारा दिनांक 30-06-2021 के उपरान्त आज दिनांक तक कोई खनन कार्य नहीं किया गया है।

कृपया तद्रूप अवगत होना चाहे।

(बशिष्ठ यादव)
खान निरीक्षक,
शामली।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदया, शामली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खान निरीक्षक,
शामली।

AEE(V/I)

ANNEXURE-5

FORM 1

CONSENT SEEKING FORM

(To be submitted in triplicate)

Application for consent for discharge/continuation of discharge under section 25/26 of the Act

(See RULE 3)

Date- 04/09/2021

From ,

SHAKUMBARI MINES, Gata no 228, Village Bidauli , Yamuna River,SHAMLI,247778

City:

Block:Shamli

District:SHAMLI

Fee { A-4500/- { W-4500/-

To ,

The Member Secretary,

U. P. Pollution Control Board

Lucknow.

Sir,

I/We apply for CONSENT under section 25/26 fo the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act no VI of 1974) to bring into use any* new or altered outlet for the discharge of sewage/trade effluent* to begin to make new discharge of sewage/trade effluent or *Continue to make discharge of sewage/trade effluent from land/premises owned by (1) VINOD DHAWAN for a period upto (2). years 5 yrs

1. Disposal of Liquid/Solid Waste:-

   (a). Sewage/Sullage via drains/outfall sewers/treatment works.

   (b). Trade effluent via drains/outfalls sewers/treatment works

Surrounding of Site	**Distance (in meters)**	**Description**
River	0.01	Yamuna River

2. The annexure, appendices other particulars and plans in triplicate are attached herewith.
3. I/We further declare that the information furnished in the Annexure, appendices and plans is correct to the best of my/our knowledge.
4. I/We hereby submit that in case of change either of the point or the quantity of discharge or its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such CONSENT is granted no change shall be made.
5. I /We hereby agree to submit to the Board and application for renewal of consent one month in advance of the date of expiry of the consented period for outlet/discharge, if to be continued thereafter.
6. I/We undertake to furnish other information within one month of its being called by the Board.

Accompaniments:-

FORM 1
CONSENT SEEKING FORM

(To be submitted in triplicate)

(See RULE 27)

Application for consent for emissions/continuation of emission under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

Dated
04/09/2021

From ,
SHAKUMBARI MINES, Gata no 228, Village
Bidauli , Yamuna River,SHAMLI,247778
City:
Block:Shamli
District:SHAMLI

To ,
The Member Secretary,
U. P. Pollution Control Board,
Lucknow.

Sir,

I/We hereby apply for CONSENT under Section 21 of the Air(Prevention and Control of Pollution)Act, 1981(14 of 1981) to make emission from Industrial Plant owned by (1)
VINOD DHAWAN for a period upto (2) years

2. The annexure, appendices other particulars and plans in triplicate are attached herewith.
3. I/We further declare that the information furnished in the Annexure, appendices and plans is correct to the best of my/our knowledge.
4. I/We hereby submit that in case of change either of the point or the quantity of discharge or its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such CONSENT is granted no change shall be made
5. I /We hereby agree to submit to the Board and application for renewal of consent one month in advance of the date of expiry of the consent period
6. I/We undertake to furnish other information within one month of its being called by the Board.
7. Bank Details.

Bank Draft No.	Date	Amount

Accompaniments:-

ANNEXURE-6

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Ref No. - 136277/UPPCB/Circle3(UPPCBHO)/CTO/water/SHAMLI/2021 **Dated : 11/10/2021**

To ,

M/S VINOD DHAWAN
SHAKUMBARI MINES
Gata no 228, Village Bidauli , Yamuna River,SHAMLI,247778
SHAMLI

Sub : Consent to Operate Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended.

Kindly refer to your consent application dated 05/09/2021 and received on 05/09/2021 under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 as amended. Your application and the information submitted have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 08/10/2021 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

Reasons :-

1- District Mines Officer, Shamli has been informed vide their letter dated 30.09.2021 that in the past, 117561 cubic meters of sand has been mined by the unit in a total of 112 days. The sand mining has been done by the unit without obtaining CTE/CTO from the State Board.

2- Industry has not obtained CTO for the earlier mining.

3- Industry has not submit the satisfactory compliance of the Environmental Clearance.

The Consent to Operate under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended is hereby refused.Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act.

This order is issued with the approval of competent authority.

(Authorized Signatory)

Nishi Kumar Chauhan

Digitally signed by Nishi Kumar Chauhan
Date: 2021.10.11 12:44:15 +05'30'

Chief Environmental Officer (Circle-3)

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Ref No. - 136237/UPPCB/Circle3(UPPCBHO)/CTO/air/SHAMLI/2021 **Dated : 11/10/2021**

To ,

M/S VINOD DHAWAN
SHAKUMBARI MINES
Gata no 228, Village Bidauli , Yamuna River,SHAMLI,247778
SHAMLI

Sub : Consent To Operate Application under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended.

Kindly refer to your consent application dated 05/09/2021 received on 05/09/2021 under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 as amended. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 08/10/2021 .Your consent application is hereby refused/return due to following reasons.

Reasons :-

1- District Mines Officer, Shamli has been informed vide their letter dated 30.09.2021 that in the past, 117561 cubic meters of sand has been mined by the unit in a total of 112 days. The sand mining has been done by the unit without obtaining CTE/CTO from the State Board.

2- Industry has not obtained CTO for the earlier mining.

3- Industry has not submit the satisfactory compliance of the Environmental Clearance.

The Consent to Operate under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended is hereby refused.Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Air Act.

This order is issued with the approval of competent authority.

(Authorized Signatory)

Nishi Kumar Chauhan
Digitally signed by Nishi Kumar Chauhan
Date: 2021.10.11 12:44:48 +05'30'

Chief Environmental Officer (Circle-3)

Copy To -

ANNEXURE-7

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131-2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० / Ref. No. 790/c/s-249/शामली/2021

दिनांक / Dated 4-12-2021

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय : इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध राज्य बोर्ड से इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना खनन कार्य किये जाने के सम्बन्ध में जनशिकायत प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा खनन विभाग, शामली से उक्त इकाई द्वारा किये गये खनन दिवसों एवं मात्रा की सूचना प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये। खनन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त इकाई द्वारा दिनांक 06.03.2021 से 02.12.2021 तक कुल 112 दिवसों में खनन कार्य किया गया है। उक्त इकाई द्वारा खनन कार्य संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। इकाई द्वारा पूर्व में जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये जाने हेतु किये गये आवेदन पत्रों को राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक 11.10.2021 में अस्वीकृत किया जा चुका हैं। इकाई के सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में राज्य बोर्ड से स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना खनन कार्य किये जाने के दृष्टिगत् इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध रू0 11,20,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी आख्या।

उपरोक्त विषयक इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध राज्य बोर्ड सहमति प्राप्त किये बिना खनन कार्य किये जाने के सम्बन्ध में जनशिकायत प्राप्त हुई है। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 506/सी/249/शामली/2021 दिनांक 27.09.2021 एवं 734/सी/एस–249/शामली/2021 दिनांक 23.11.2021 द्वारा खनन विभाग, शामली से इकाई द्वारा किये गये खनन दिवसों एवं मात्रा की सूचना प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये। उक्त के क्रम में खनन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इकाई द्वारा दिनांक 06.03.2021 से 02.12.2021 तक कुल 112 दिवसों में खनन कार्य किया गया है।

इकाई द्वारा पूर्व में जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये जाने हेतु किये गये आवेदन पत्र राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक 11.10.2021 में अस्वीकृत किये जा चुके हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना खनन कार्य किये जाने के दृष्टिगत् इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः इकाई के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी–31011/बीएमडब्लू/2019/ डब्लूएमडी–1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स को आधार मानते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :–

PI = Pollution Index of Industrial Sector – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। सन्दर्भित इकाई लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place –बालू खनन किये जाने की अवधि कुल 112 दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 112 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty – केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदानुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = इकाई द्वारा बालू खनन का कार्य किया जाता है, जो लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 0.5 लिया जाना उचित होगा।

LF = Location factor = इकाई से निकटतम शहरों की जनसंख्या 10 लाख के अन्दर आती है। अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।

क्रमशः ...2...

उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :–

EC = PIxNxRxSxLF

= 80 x 112 x 250 x 0.5 x 1

= 11,20,000/-

अतः उपरोक्त गणना के अनुसार इकाई मै0 शाकुम्बरी माइन्स, गाटा संख्या 228, ग्राम बिडौली, तहसील कैराना, जिला शामली के विरूद्ध रू0 11,20,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जाना उचित होगा।

आख्या सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(विपुल कुमार)
सहा0पर्या0अभि0

(इमरान अली)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

24/11/
CC-

संदर्भ संख्या H693 / सी–3 / जल–434 / मु0नगर / 2021 दिनांक 13-12-21

सेवा में, पंजीकृत

ANNEXURE-8

मै0 शाकुम्भरी माईन्स,
गाटा संख्या–228, ग्राम बिडौली, तहसील–कैराना, जिला शामली,
द्वारा– श्री विनोद धवन, एच–12, नुमाइश कैम्प, सहारनपुर।

विषय:– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पट्टाधारक मै0 शाकुम्भरी माईन्स, गाटा संख्या–228, ग्राम बिडौली, तहसील–कैराना, जिला शामली के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या दिनॉक 04.12.2021 के अनुसार इकाई के विरूद्ध राज्य बोर्ड से इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना खनन कार्य किये जाने के सम्बन्ध में जनशिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा खनन विभाग, शामली से इकाई द्वारा किये गये खनन दिवसों एवं मात्रा की सूचना प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित पत्र के अनुक्रम में खनन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इकाई द्वारा दिनॉक 06.03.2021 से 02.12.2021 तक कुल 112 दिवसों में खनन कार्य किया गया है। इकाई द्वारा खनन कार्य संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। इकाई द्वारा पूर्व में जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये जाने हेतु किये गये आवेदन पत्रों को राज्य बोर्ड द्वारा दिनॉक 11.10.2021 में अस्वीकृत किया जा चुका है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना खनन कार्य किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध रू0–11,20,000/– का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मा0 एन0जी0टी0, दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित मैथाडोलॉजी के अनुसार खनन पट्टा मै0 शाकुम्भरी माईन्स, गाटा संख्या–228, ग्राम बिडौली, तहसील–कैराना, जिला शामली पर दिनॉक 06.03.2021 से दिनॉक 02.12.2021 के मध्य कुल 112 दिवसों में किये गये खनन कार्य को पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0–10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0–11,20,000/– का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड– UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट www.uppcb.com
T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com